

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-33/लै.टे./ (1149)/2018/ 221

दिनांक : 09/04/18

आदेश

निम्नलिखित लैब टेक्नीशियन को उनके नामों के सम्मुख अंकित जन्म दिनांक के आधार पर 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर अंकित दिनांक से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क.स.	कर्मचारी का नाम	पदस्थापन स्थान	जन्म दिनांक	से.नि.दिनांक
1.	श्री. परसराम मेनारिया	प्रा0स्वा0केन्द्र खेरोदा (उदयपुर)	06.07.1958	31.07.2018
2.	श्री राजकुमार दाधीच	अधीक्षक, पी.बी.एम एवं सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग बीकानेर	22.09.1958	30.09.2018

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

दिनांक : 09/04/18

क्रमांक :- ई-33/लै.टे./ (1149)/2018/ 221

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग राज0 जयपुर।
2. अधीक्षक, पी.बी.एम एवं सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन-उदयपुर/बीकानेर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर।
5. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी भीण्डर(उदयपुर)।
6. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्रा0स्वा0केन्द्र खेरोदा (उदयपुर)
7. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।
8. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
9. आदेश/डीपीसी सैल/निजी पत्रावली।

उक्त कर्मचारीयो के विरुद्ध यदि आडिट पेशा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावे।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।